(3)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/1534

दिनांक : 11-02-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03 जून, 2014 के पद क्रमांक (01) के निर्णयानुसार **महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ डेन्ट्रिस्टी एण्ड रिसर्च सेन्टर ग्वालियर** को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित **बी0डी0एस0** पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

वस्तु स्थिति :-

1. महाविद्यालय को बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम सत्र 2003 से संचालित किया जा रहा है।
2. वर्तमान में महाविद्यालय द्वारा परिनियम 28(17) के अन्तर्गत एक प्राचार्य की नियुक्ति दिनांक 21.10.2013 को कराई गई है। जिसका अनुमोदन महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद से अभी तक प्राप्त नही किया गया है।
3. महाविद्यालय द्वारा पूर्व में परिनियम 28(17) के अन्तर्गत बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम के विभिन्न विभागो हेतु शिक्षकों का चयन किया गया था। जिसका अनुमोदन विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 15.02.08 में कर दिया है। वर्तमान में पूर्व में चयनित शिक्षकों में से केवल ग्यारह शिक्षक ही महाविद्यालय में कार्यरत है। वर्तमान में महाविद्यालय में अन्य कार्यरत शिक्षकों का चयन प्रबंध समिति द्वारा किया गया है।
4. परिनियम 28(17) के अन्तर्गत चयनित सभी शिक्षकों को वेतन का भुगतान यू0जी0सी0 नई दिल्ली के नियमानुसार नहीं किया जा रहा है।
5. महाविद्यालय द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष एवं क्रीड़ा अधिकारी की नियुक्तियाँ परिनियम 28(17) के अन्तर्गत नहीं की गई है।
6. महाविद्यालय द्वारा तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्तियाँ विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के माध्यम से नहीं की गई है।
7. महाविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध एक्सेसन रजिस्टर के अनुसार 4,060 पुस्तकें (लगभग 781 टाइटल्स) उपलब्ध है। 38 शोध पत्रिकाये भी उपलब्ध है। सत्र 2012-13 के पश्चात् महाविद्यालय द्वारा पुस्तकालय के लिये पुस्तकें क्रय नहीं की गई है। महाविद्यालय पुस्तकालय में इन्टरनेट सहित कम्प्यूटरों की व्यवस्था नहीं है। बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम के विभिन्न विभागों की विभागीय पूर्णतः अविकसित है। एवं विभागीय से मिनार रूम मय उपकरणों के विकसित नहीं किया गया है।
8. महाविद्यालय को शर्तों के अधीन सत्र 2012-13 में बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गई थी। (विश्वविद्यालय पत्र क्रंमाक एफ/सम्बद्धता/2012/866 दिनांक 16.08.13 का अवलोकन हो) परन्तु महाविद्यालय द्वारा सभी शर्तों की प्रतिपूर्ति अभी तक नहीं की गई है। अतः यहां पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन के पृष्ट क्रं0-03 की कण्डिका क्रं0-17 पर अंकित प्राचार्य महोदय की टिप्पणी पूर्णतः असहय है।
9. महाविद्यालय के चिकित्सालय में दंत रोग सम्बन्धित भाग ले रहे रोगियों की संख्या भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् के मापदण्डों के अनुसार कम पाई गई।

अनुशंसाये:-

1. विश्वविद्यालय पत्र क्रं0 एफ/सम्बद्धता/2012/866 दिनांक 16.08.13 की शर्तों के अनुसार सत्र 2013-14 में बी0डी0एस0 प्रथम वर्ष में छात्रों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई जानी चाहिये थी क्योकि इस अधिसूचना की शर्ते (क्रं.1-5 तक) की पूर्ति महाविद्यालय द्वारा 60 दिवस के भीतर नहीं की गई थी। ऐसा क्यों एवं किन परिस्थितियों में हुआ यह एक विचारणीय प्रश्न है।
2. चूंकि छात्रों का प्रवेश महाविद्यालय द्वारा बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में सत्र 2013-14 में किया जा चुका है अतः केवल वृहव छात्र हित को ध्यान में रखते हुये ही महाविद्यालय को बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम को सत्र 2013-14 में संचालित करने हेतु अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने पर विश्वविद्यालय विचार कर सकता है।
3. पुनः समिति का यह मत है कि महाविद्यालय को आगामी सत्र 2014-15 हेतु बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता विश्वविद्यालय द्वारा तभी किया जाये जब उपरोक्त बिन्दू क्रं.1-8 तक वर्णित तथ्यों की पूर्ती महाविद्यालय द्वारा कर ली गई हो। इसके अभाव में सत्र 2014-15 में बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी लगाई जावें। महाविद्यालय को यह अन्तिम अवसर दिया जाये।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ डेन्ट्रिस्टी एण्ड रिसर्च सेन्टर ग्वालियर।
2. सचिव, डेन्टल काउन्सिल ऑफ इण्डिया, कोटला रोड़, टेम्पल लेन, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

S Cheuh
उप0कुलसचिव (सम्बद्धता)